

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने हेतु निरंतर योगदान देने वाले राज्य के वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को मासिक ₹ 3,000/—(तीन हजार रुपये) की पेंशन प्रदान करने हेतु "मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना" की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

2

प्रेस नोट

कला, संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास हेतु बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, दुर्लभ और विलुप्तप्राय कला रूपों को संरक्षित करने हेतु 'मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परम्परा योजना' प्रारंभ करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹ 1,11,60,000/- (एक करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रुपये) मात्र वार्षिक व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के तहत दुर्लभ और विलुप्तप्राय कला रूपों को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए युवा प्रतिभाओं को इन क्षेत्रों में विशेषज्ञों और गुरुओं के मार्गदर्शन में 'मुख्यमंत्री बिहार गुरु-शिष्य परम्परा योजना' प्रारंभ कर प्रशिक्षित किया जायेगा।

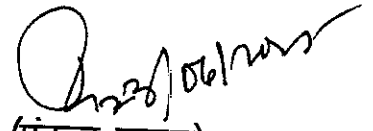
(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल 3635.15 लाख (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख पंद्रह हजार) रुपये से योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बिना फसल उगाना है। इसके लाभों में इनपुट लागत में कमी, रसायन मुक्त भोजन, पोषण युक्त भोजन, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि करना है।



(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

(4)

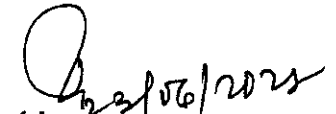
प्रेस नोट

चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी0पी0आर0) अंतर्गत कृषोन्नति योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (60:40) के कार्यान्वयन के लिये बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थापना (वेतन, नियत मानदेय) तथा प्रशासनिक मद में व्यय हेतु कुल 8099.20 लाख (अस्सी करोड़ निनानवे लाख बीस हजार) रुपये मात्र की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना से कृषि प्रसार तंत्र को सक्षम तथा प्रभावकारी बनाया जाएगा।

योजना अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के माध्यम से स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान तथा अन्य स्थायी पदाधिकारियों को नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जाना है।

राज्य स्तर पर बामेती के प्रशासनिक व्यय, जिला आत्मा के प्रशासनिक व्यय, वाहन/ पी0ओ0एल0/प्रखंड स्तरीय ऑपरेशनल मद पर व्यय किया जाएगा।


(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

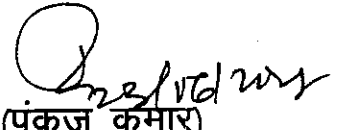
(5)

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (60:40) के मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना अंतर्गत अनुमण्डल स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला की स्थापना, जैव उर्वरक एवं कार्बनिक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना तथा मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण घटक का वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यान्वयन एवं इस हेतु कुल 3049.37227 लाख (तीस करोड़ उनचास लाख सैंतीस हजार दो सौ सताईस) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी जाँच एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी में संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। खेती की लागत में कमी आएगी तथा टिकाऊ खेती के लिए मिट्टी की स्वास्थ्य को बनाये रखा जा सकेगा। जिलों के दूरस्थ ग्राम के कृषकों को अनुमंडल में मिट्टी जाँच की सुविधा उपलब्ध होगी। उर्वरकों के नियमित जाँच से कृषकों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराया जा सकेगा।

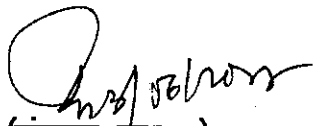

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी0पी0आर0) अंतर्गत कृषोन्नति योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (60:40) के कार्यान्वयन के लिये बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रशिक्षण, परिभ्रमण, पी.जी.डी.ए.ई.एम. सम्पर्क कक्षा हेतु कुल 4102.95 लाख (एकतालीस करोड़ दो लाख पंचानवे हजार) रुपये मात्र की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।

कृषि प्रसार तंत्र को सक्षम तथा प्रभावकारी बनाया जाएगा। प्रशिक्षण, परिभ्रमण, पी.जी.डी.ए.ई.एम. सम्पर्क कक्षा का संचालन करके कृषि की उन्नत तकनीकी की जानकारी किसानों को हस्तान्तरित किया जाएगा। इससे फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी तथा लागत मूल्य कम होगा तथा किसानों के आय में वृद्धि होगी।


(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

7

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

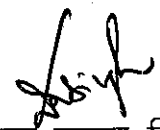
प्रेस नोट

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक 955 दिनांक 15.12.2020 के कंडिका 6 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-25) अंतर्गत ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु सुलभ संपर्कता को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है।

विभागीय पत्रांक-1419, दिनांक-15.04.2025 द्वारा निर्गत सुलभ संपर्कता योजना हेतु मार्गदर्शिका के आलोक में जिलाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का पत्रांक-200, दिनांक-21.04.2025 द्वारा अनुशंसा प्राप्त है। विभागीय चयनोपरांत संदर्भित योजना पर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

“सुलभ संपर्कता योजना” के तहत मोतिहारी जिलान्तर्गत गम्हरिया चौक, रक्सौल (NH-28A) से गम्हरिया चौक, आदापुर तक का पथ जिसकी कुल लम्बाई-12.8 कि०मी० एवं पथ के आरेखन, चेनेज-4.00 कि०मी० पर अवस्थित 77.48 मी० लम्बाई एवं चेनेज-10.270 कि०मी० पर अवस्थित 58.120 मी० लम्बाई का उच्चस्तरीय पुल का निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 37.0744 करोड़ रुपये (सैंतिस करोड़ सात लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

इस पथ के निर्माण से तीन विधान सभा क्षेत्र (10-रक्सौल, 11-सुगौली एवं 12-नरकटिया) को सम्पर्कता प्राप्त होगी। वैकल्पिक पथ के निर्माण से रक्सौल प्रखण्ड से आदापुर प्रखण्ड होते हुए छौड़ादानों प्रखण्ड पहुँचने की दूरी 25.00 कि०मी० से घटकर 12.20 कि०मी० हो जाएगी एवं जिला मुख्यालय की दूरी 55.00 कि०मी० से घटकर 40.00 कि०मी० हो जाएगी। साथ ही धोड़ासहन ब्रान्च कैनाल पथ (GBC Canal road) पर ट्रैफिक लोड कम हो जाएगी तथा कोड़ीहार चौक, नहर चौक (रक्सौल) आदी स्थानों पर ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। प्रस्तावित पथ पर गम्हरिया बाजार, बंगरी, चौटी चौक बाजार, ईट भट्टी, मत्स्य पालन हेतु तालाब आदि अवस्थित है। इस पथ के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एवं रोजगार वृद्धि के सुदृढीकरण में बल प्रदान होगी। पथ के निर्माण में लगभग एक लाख आबादी प्रत्यक्ष रूप से एवं डेढ़ लाख आबादी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।


(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

(8)

सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद अन्तर्गत जहानाबाद जिला के पुनहदा पंचायत में विभिन्न गांव में सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं सम्पोषण कार्य, प्राकलित राशि ₹ 42.9826 करोड़ (बियालीस करोड़ अठान्चे लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

सेसम्बा वीयर सिंचाई योजना में हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर-सह-सेतु एवं एकपथीय सेतु इत्यादि सन्निहित है। सेसम्बा वीयर सिंचाई योजना स्थल पर दो रेगुलेटर पूर्व से निर्मित है एवं एक पर्इन में हेड रेगुलेटर नहीं रहने के कारण पानी के बहाव का संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता है। कभी-कभी बहाव अधिक होने के कारण फसल, पर्इन का बाँध एवं काफी पानी की बर्बादी हो जाती है, साथ ही साथ पर्इन का बाँध भी टूट जाता है।

हेड रेगुलेटर का निर्माण हो जाने से विभिन्न गाँव यथा पंडितपुर, सावनविगहा, सिकन्दरपुर, शैलीचक, गुलाबगंज, पांडेचक, ब्रह्मस्थान इत्यादि लाभान्वित होंगे।

सेसम्बा वीयर सिंचाई योजना एवं नौगढ़ वीयर सिंचाई योजना का सी०सी०ए० क्रमशः 560 हे० एवं 460 हे० है।

उक्त कार्य पूर्ण हो जाने पर 360 हे० फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए लाभान्वितों द्वारा बार-बार माँग की जाती रही है।

गाँव के बीच से नहर गुजरने के कारण कटाव होते रहता है। कटाव से बचने के लिए चैनल निर्माण का प्रावधान किया गया है एवं पुल-पुलिया का निर्माण नहर के विभिन्न चैनल पर होने से निगरानी करने एवं आवागमन में सहूलियत होगी।

योजना को दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् 360 हे० फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है।



(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

(9)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना

॥ प्रेस नोट ॥

राज्य में औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित-2022) में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे BIADA अन्तर्गत एकल कारखानों के लिए औसत भूमि हानि 41.8% से घटकर 30.9%, Non-Polluting Industries के लिए अधिकतम FAR 1.5 से बढ़कर 2.0 एवं Flatted Factories के लिए पार्किंग की सीमा निर्मित क्षेत्र के 30% से घटकर 14% हो जाएगी तथा Non-Polluting Industries के लिए Hostels एवं Dormitories के निर्माण का प्रावधान होगा।



(अभय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10

प्रेस नोट

अररिया जिलान्तर्गत अंचल-अररिया, मौजा-रामपुर कोदरकट्टी, थाना सं०-305, खाता सं०-1121 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा-20.60 एकड़ गैरमजरूआ खास बिहार सरकार की भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अररिया के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-



नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11

प्रेस नोट

बेगूसराय जिलान्तर्गत अंचल-बरौनी के मौजा-सिमरिया, थाना सं०-500, खाता सं०-458, खेसरा सं०-5090, रकबा-18 एकड़ 25.5 डी० एवं मौजा-मल्हीपुर, थाना सं०-503, खाता सं०-261, खेसरा सं०-890, रकबा-22 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा-40 एकड़ 25.5 डी० गैरमजरूआ खास, किस्म-बालू/रेता, सिमरिया घाट/धाम की भूमि पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-



नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

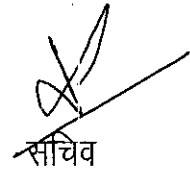
12

प्रेस विज्ञप्ति

‘मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा’ योजना बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास, सशक्त नेटवर्किंग और करियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करेगी। यह योजना न केवल युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य अनुभव प्राप्त कराने में सहायक होगी, बल्कि उन्हें भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्राप्त करने के लिए भी सक्षम बनाएगी। इसके माध्यम से बिहार में ज्ञान का प्रभावी हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा और युवाओं को सार्वजनिक सेवा में भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह राज्य सरकार की एक दूरदर्शी और नवाचारी पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाना है, जिससे वे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। साथ ही, राज्य के युवाओं को एक बेहतर भविष्य की दिशा में सशक्त बनाना, इसके लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण एवं कार्यस्थल तत्परता प्रशिक्षण प्रदान करना, साथ ही सरकारी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार अवसरों की पहचान करने में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना ‘मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा’ योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

इस योजना का लाभ 18 से 28 वर्ष की आयु के वे युवा ले सकेंगे, जिन्होंने कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा प्रमाणित हों, या जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर हो। ‘मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा’ योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप की अवधि प्रक्षेत्रों एवं नियोक्ता प्रतिष्ठानों की आवश्यकतानुसार न्यूनतम 3 माह एवं अधिकतम 12 माह निर्धारित की जाएगी, जो संबंधित उद्योगों एवं सरकारी संस्थानों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। चयनित युवा इन संस्थानों में इंटर्नशिप कर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

‘मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा’ योजना अन्तर्गत प्रथम वर्ष 2025-26 में कुल 5000 लाभार्थी एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 (पांच वर्ष) में कुल एक लाख युवाओं को इस योजनान्तर्गत लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।


सचिव

श्रम संसाधन विभाग

प्रेस नोट

कारखानों में काम करने वाले कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधित प्रावधानों को विनियमित करने हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन किया जा रहा है। बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के प्रावधान भी लागू किये गये हैं। बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के अन्तर्गत वर्णित 21 खतरनाक प्रकृति के प्रक्रियाओं में से 13 प्रक्रियाओं के कतिपय विशिष्ट स्थानों पर वर्तमान में महिलाओं का नियोजन प्रतिषिद्ध है।

2. राज्य में स्थापित अथवा स्थापित हो रहे विभिन्न प्रकार के कारखानों में अधिकाधिक महिलाओं के नियोजन को बढ़ावा देने एवं राज्य में नये औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थापित करने के उद्देश्य से बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 95 से संबंधित खतरनाक प्रकृति के कुल 13 अनुसूचियों यथा अनुसूची II के क्रमांक 3, अनुसूची III के क्रमांक 3, अनुसूची IV के क्रमांक 4, अनुसूची VI के क्रमांक 4, अनुसूची VII के क्रमांक 1, अनुसूची VIII के क्रमांक 3, अनुसूची X के क्रमांक 4, अनुसूची XI के क्रमांक 7, अनुसूची XIII के क्रमांक 63, अनुसूची XVI के क्रमांक 8, अनुसूची XVII के क्रमांक 5, अनुसूची XVIII के क्रमांक 6, एवं अनुसूची XIX के क्रमांक 15 के मुख्य प्रावधानों में "महिला" शब्द को शब्द "गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

3. बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 95 के अन्तर्गत प्रस्तावित संशोधन होने के उपरान्त बिहार राज्य के राज्य में स्थापित अथवा स्थापित हो रहे खतरनाक प्रकृति के कारखानों में भी "गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं" को छोड़कर सभी महिलाओं को नियोजित किया जा सकेगा।

4. बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 95 के अन्तर्गत प्रस्तावित बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2025 के लागू होने से महिलाओं को अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा राज्य में औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। नियमावली में संशोधन राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में एक नया आयाम जोड़ेगा।

(दीपक आनन्द)

सरकार के सचिव

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना

कृषि रोड मैप अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का कुल 4900.00 लाख रु0 (उनचास करोड़ रु0) मात्र की लागत पर ईख विकास की योजनायें कार्यान्वित की जाएगी।

गन्ना एक नगदी औद्योगिक फसल है। गन्ना आधारित चीनी उद्योग से राज्य के लाखों कुशल एवं अकुशल मजदूर एवं कृषक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता तथा चीनी रिकवरी में वृद्धि लाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में गन्ने की कुल 16 प्रभेदों यथा- CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209, Bo-153, Co-15023, CoLK-14201, CoS-13235, CoLK-15466, CoLK-16466 एवं CoLK-16470 प्रभेदों का चयन किया गया है। चयनित प्रभेदों पर ही इस कार्यक्रम के तहत गन्ना कृषकों को लाभ दिया जाएगा। इससे गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होगी।

योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा चीनी मिलों के सहयोग से कराया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर योजना का पर्यवेक्षण संबंधित उप निदेशक, ईख विकास द्वारा किया जाएगा। इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया केन केयर पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।


(बी० कार्तिकेय धनजी)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

15

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस-नोट

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में Contempt Petition (C) No. 425 & 426/2015, Justice V.S. Dave, President, the association of Retd. Judges of Supreme Court and High Court vs. Kusumjit Sidhu & ors. में दिनांक 18.02.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना की संसूचित अनुशंसा के आलोक में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली, 2019 एवं तत्संबंधी अन्य प्रावधानों को अवक्रमित करते हुए सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों को घरेलू सहायता एवं अन्य सुविधाएं नियमावली, 2025 की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

(Signature)
30.6.2025

(डॉ. बी. राजेन्दर)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

प्रेस नोट

सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास किये जाने हेतु तैयार की गयी वृहद् योजना एवं लागत राशि 882,87,00,000/- (आठ सौ बेरासी करोड़ सतासी लाख) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति, योजना के वित्त-पोषण की रूप-रेखा, तथा क्रियान्वयन के उपरांत प्रभावी संचालन एवं प्रबंधन की योजना की स्वीकृति के संबंध में।

वर्तमान वैश्विक, सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में पर्यटन प्रक्षेत्र अपनी विशेषताओं के कारण जन-मानस की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बन गया है। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्थल पर्यटकों को विशेष रूप से भ्रमण हेतु आकर्षित कर रहे हैं। कई ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पर्यटन प्रक्षेत्र है। धार्मिक पर्यटन भारत की संस्कृति का अभिन्न भाग है। इस देश में भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों का समग्र विकास किसी राज्य या क्षेत्र विशेष के आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकता है। अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र का विकास इसका एक जीवंत उदाहरण है। इसके अतिरिक्त इन स्थलों का विकास रोजगार सृजन एवं व्यापार के विकास की नयी संभावनाएँ भी पैदा करता है।

सीतामढ़ी जिले में 'देवी सीता' की जन्मस्थली पुनौराधाम का विशेष धार्मिक और पर्यटकीय महत्व है। हिंदू धर्मावलंबी 'भगवान राम' के साथ 'देवी सीता' की भी पूजा करते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि का विकास किया गया है और यह श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केन्द्र बन गया है। अयोध्या और पुनौराधाम के बीच सीधा संपर्क है। व्यापक जनहित में श्रद्धालुओं की भावना और पर्यटन के व्यापक विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए मौजूदा, पुनौराधाम को रामायण सर्किट के रूप में विकसित करना समीचीन है ताकि अयोध्या धाम से सीधा संपर्क हो सके। बिहार के सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्म स्थली, पुनौराधाम का समग्र विकास उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यक है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पुनौराधाम के वृहद् एवं समग्र विकास हेतु कुल प्राक्कलित राशि 882,87,00,000/- (आठ सौ बेरासी करोड़ सतासी लाख) रुपये मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस प्रस्तावित योजना के कार्य-घटकों में मंदिर की वर्तमान (परकोटा) सरंचना के उन्नयन, भवनों का निर्माण और अन्य पर्यटकीय विकास संबंधित कार्य तथा क्रियान्वयन के उपरांत 10 वर्षों के लिए संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित कार्य किया जाना शामिल है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु ई0 पी0 सी0 (EPC) मॉडल पर निविदा का प्रकाशन, निष्पादन एवं योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

17

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या 1876

दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

= = = = =

विषय:— आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के निमित्त मतपत्रों के मुद्रण हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131द के तहत नामांकन के आधार पर पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी०टी० रोड, कोलकाता-700056 को प्राधिकृत करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

हस्ताक्षर—



नाम —मिथिलेश कुमार साहु

पदनाम— संयुक्त सचिव

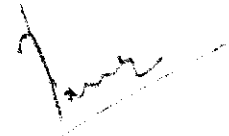
(उत्तरदायी विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून)

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(18)

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्र प्रायोजित स्कीम (60:40) राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण अन्तर्गत गोकुल जलाशय, भोजपुर के समेकित प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक कुल रु0 3248.30 लाख (बत्तीस करोड़ अड़तालिस लाख तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत योजनान्तर्गत केन्द्रांश की राशि रु0 1948.98 लाख एवं राज्यांश की राशि रु0 1299.32 लाख है।


(हरजोत कौर बम्हरा)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

23/50
(19)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों यथा—सह—प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पद पर संविदा नियोजन की जा रही है, जिससे चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप चिकित्सक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।


(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

20

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

राज्य के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में कार्यरत कर्मियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-7433 दिनांक-05.06.2018 यथा संशोधित संकल्प संख्या-635 दिनांक-10.01.2024 द्वारा राज्य के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कालावधि में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

(Signature)
30.6.2024
(डॉ० बी० राजेन्द्र)
अपर मुख्य सचिव।

सं०सं०-14 / विविध-20 / 2025

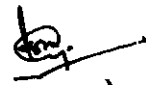
बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

34
50
21

प्रेस नोट

बिहार राज्य त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की सुविधा प्रदान किया जायेगा।


(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव।

(22)

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

प्रेस-नोट

बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में श्री राजीव कुमार, निदेशक, बिहार विधान सभा सचिवालय का दिनांक-30.06.2025 को संविदा आधारित नियोजन समाप्त होने के पश्चात् दिनांक-01.07.2025 से एक वर्ष के लिए बिहार विधान सभा सचिवालय में निदेशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपम कुमार)
सचिव।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

(23)

प्रेस-नोट

विषय :- श्री रामाकान्त प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना (सम्प्रति संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त) की पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक-01.07.2025 से 30.06.2026 (01 वर्ष) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।


30.6.25

(विनोद कुमार दास)
सरकार के उप सचिव

निगरानी विभाग

२५

प्रेस नोट

राज्य सरकार आम जनता की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में व्यापक सार्वजनिक निवेश किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का अपेक्षित लाभ लक्षित वर्ग को पहुँचाने के लिए लोक प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त रखना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेन्स” की नीति अपनायी गयी है। इस संदर्भ में निगरानी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयास तेज किये गये हैं।

उक्त के आलोक में निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना में पदस्थापित पुलिस उप महानिरीक्षक श्री विकास कुमार के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2025 के उपरान्त संविदा के आधार पर अगले एक वर्ष तक नियोजित करने का निर्णय लिया गया है।



(अरविन्द कुमार चौधरी)

अपर मुख्य सचिव
निगरानी विभाग, बिहार, पटना।